



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/19/डी- ५६३१

दिनांक : 16/08/19

श्री रामचन्द्र यादव पुत्र श्री हरसहाय यादव
निवासी यादव फार्म हाउस, अजमेर रोड,
रामचंद्रपुरा, जयपुर राजस्थान 302026 व
आर्यन लैंडमार्क डवलपर्स एलएलपी जरिये
अधिकृत पार्टनर डॉ. रामचन्द्र यादव
निवासी 2सी, स्वरूप कालोनी,
डीसीएम अजमेर रोड, जयपुर

विषय :- ग्राम नांगल बड गुजरान उर्फ फगोडियावाला तह. सांगानेर के ख.नं. 22, 381/24, 23, 378/23, 380/23 कुल किता 5 रकबा 3.487825 हैक्टर व ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ जयचन्दपुरा तह. जयपुर के ख.नं. 95शा.नं. 111, 99/4, 99/6, 99/9शा.नं. 101,108 व 99/3 कुल किता 5 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा में स्थित "यदुराज एनक्लेव" आवासीय योजना का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के कम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम नांगल बड गुजरान उर्फ फगोडियावाला तह. सांगानेर के ख.नं. 22, 381/24, 23, 378/23, 380/23 कुल किता 5 रकबा 3.487825 हैक्टर व ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ जयचन्दपुरा तह. जयपुर के ख.नं. 95शा.नं. 111, 99/4, 99/6, 99/9शा.नं. 101,108 व 99/3 कुल किता 5 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा में स्थित "यदुराज एनक्लेव" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 272वीं बैठक दिनांक 30.08.19 में किया चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित योजना मानचित्र को नियमानुसार रेरा में पंजीकृत करा उसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करे। अनुमोदित योजना मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंग्न है।

सलंग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।